

न्यायालय मू अर्जन अधिकारी जिला शहडोल म०प०
प्रकाशित ८/८/२००८

अवार्ड नं० ८४/२००८-६४

(मू अर्जन अधिनियम १९६४ की धारा ११ के अन्तर्गत)
(दिनांक ०४ जुलाई १९६७)

डिविजनल इंजीनियर एलिक्ट्रिक सिटी बोर्ड चचाई के अनुरोध पर
चचाई थरमल पावर स्टेशन के निर्माण हेतु ग्राम चचाईआषाद, खोली, देवरी किल्होरी,
एवं भड़ियारास तहसील सोहागपुर के कारशतकारों की भूमि के अर्जन के संबंध में मू अर्जन
अधिनियम १९६४ की धारा ४(२) के अधीन म०प० शासन राजस्व विभाग भोपाल की
अधिसूचना क्रमांक ४५०६।३१७०।सात-सा-१ दिनांक १६-८-६४ को प्रकाशित होने पर
मू अर्जन अधिनियम की धारा ६ की अधिसूचना प्रकाशित किये जाने हेतु शासन से निवेदन
किया गया। धारा ५-अ के उपबन्ध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होते। धारा १७
की उपधारा (१) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते।

मू अर्जन अधिनियम की धारा ६ की अधिसूचना क्रमांक ६०१३।३१७०, सात-सा-
१ दिनांक १०-११-६४ से म०प० शासन राजस्व विभाग भोपाल द्वारा प्रकाशित की
गई। तत्पश्चात् धारा ६ के अन्तर्गत संबंधित कारशतकारों को नोटिस अर्जित की जाने
वाली भूमि के संबंध आपत्तियां सुनने हेतु दी गई। आपत्तियां लिखित रूप में कारशतकारों
द्वारा प्रस्तुत की गई जो कि शामिल भूमि है। आपत्तियों के अवलोकन करने से
पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का मुआवजा कारशतकार उचित चाहते हैं।

प्रश्नाधीन भूमि की नामों के से राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा
की जाकर भूमि का खसरा फार्म १० एवं ११ तैयार किया गया जो कि प्रकरण में
संलग्न है। खसरा व जमावन्दी के अनुसार अर्जित की जाने वाली भूमि का मिलान अधिसू-
चना धारा ६ में प्रकाशित प्रत्येक खसरे नामों में अर्जित भूमि से किया गया जिससे
पाया गया कि ग्राम चचाई के खसरा नं० ३१७।१-२०, २६१।१।०-२०, २६१।२।०-२०, २६१।३।
१०-०६, २१०।०-१४, ३१६।०-७, २६१।०-५६, २६७।०-२१, १०१।०-०४, ३१।१-३४, २५३।०-
३३, ३०७।१-७, २५६।१-१६, १०७।०-४१, २३२।१-६८, ग्राम देवरी के खसरा नं० ४६०।०-२२
४८१।१।०-५३ एवं ग्राम भड़ियारास के खसरा नं० २३०।१-३६, ५४५।०-३०, ६०१।०-२६
६७६।१-१६, ६१।०-७६, १६६।०-२४, ५७७।०-५३ का प्रकाशन हो चुका है जबकि उपरोक्त
भूमि का अर्जन नहीं होना है।

ग्राम चचाई के खसरा नं० ७२ रकबा १८-०० एकड़, २५८।१५-६३, ८३।७-२८,
२४७।१।१-५० एवं २७५।११-५७ का प्रकाशित अधिसूचना में हुआ लेकिन नाम के अनुसार

यजन की जाने वाली भूमि का सहीरकता क्रमशः २-६८, १३-६३, ४-००, ४-७२, ६-५७ एकड़ है इसमें से खसरा नं० २४७।१ की भूमि ३-२२ एकड़ की अधिसूचना नहीं प्रकाशित हुई है। इसी प्रकार ग्राम देवरी के खसरा नं० ४१७।२ एकड़ १०-०० एकड़ भूमि की भी अधिसूचना प्रकाशित नहीं हुई है जबकि उपरोक्त खसरे की भूमि का अर्जन किया गया है।

ग्राम मेड़ियारास के खसरा नं० ६१ एकड़ ०-७६ एकड़ भूमि का प्रकाशन दो बार अधिसूचना में हुआ है। अतः इस भूमि को निरस्तगी हेतु शासन से निवेदन किया जावे।

प्रश्नाधीन वष अर्जित की जाने वाली भूमि किस्म तालाब, बांध, बहरा, ३, दुमट, ४ गटौर ११ २१ ३१ ४१ भीटा, मेड़ बगार एवं जंगल है। इनमें से किस्म जमीन तालाब भीटा मेड़, पर वन्दोवस्त के कोई शरह रेट लान कायम नहीं हुआ है तालाब किस्म की भूमि का बांध किस्म की भूमि के अनुसार ही गणना होती है। यानी अच्छी किस्म की भूमि मानी जाती है भीटा व मेड़ बगार के समकक्षा की भूमि है। वतएव तालाब के लान का शरह रेट ३-०० रुपया व भीटा एवं मेड़ का ०-२५ पैसा प्रति एकड़ के अनुसार लान कायम किया जाना उचित है और उसी अनुसार मुआवजा भीकाश्तकारों की भूमि का निर्धारित किया जावे। शेष किस्म की भूमियाँ का शरह रेट लान वन्दोवस्त से कायम है जिसका विवरण ग्राम वार निम्न प्रकार है।

ग्राम मेड़ियारास:- बांध २-२-२५, बांध ३-१-५०, बहरा ३-२-६२, बहरा ३-२-२५ गटौर १-१-८७, गटौर २-१-१२, गटौर ३-०-७५ गटौर ४-०-३१, बगार ०-२५ पुष ७०
दुमट ३ १-५०, दुमट ४ ०-३७

ग्राम चचाई आवाद:- बांध १-८७, वष ० व बांध ३-१-२५, बहरा २-२५, बहरा ३-८७ गटौर १-१-८७, गटौर २ १-२५, गटौर ३-६२-६२, गटौर ४-०-३१, बगार-२५
दुमट ३-१-२५, दुमट ४ ०-३७।

ग्राम देवरी:- बांध १-३-००, बांध २-२-२५, बांध ३-१-५०, बहरा २-२-२५, बहरा ३-१-८१ गटौर १-१-८७, गटौर २-०-६४, गटौर ३-४३, गटौर ४-०-३१, बगार ०-२५,
दुमट ३ १-२५, दुमट ४ ०-३७।

ग्राम किल्हौरी:- बांध २ १-८७, बांध ३ १-२५, बहरा २ १-८७, बहरा ३ १-८७, गटौर १ १-३७, गटौर २-०-७५, गटौर ३, ०-३१, गटौर ४ ०-३१ बगार ०-२५, दुमट ३ १-५०
दुमट ४ ०-३७

ग्राम खौली:- बगार ०-२५, गटौर २ १-२५, गटौर ३ ०-५०, बांध ३ २-००।

प्रश्नाधीन भूमि का मुआवजा निर्धारण करने हेतु उप पंजीयक कार्यालय सोहागपुर से ग्राम खौली, देवरी, मेड़ियारास, एवं किल्हौरी में विक्री की गई भूमि सन् १९६३-६४ की व किता के रजिस्टर्ड विक्रीनाम की सूची प्राप्त किया जा कि



प्रकरण में शामिल है, एवं उसी आधारपर भूमि की औसतन कीमत आंकी गई, भूमि की औषातन कीमत एक पैसे लगानी भूमि की कीमत ७-२५ पैसा आंकी है।

इसके अतिरिक्त पूर्व आवंट का भी अवलोकन किया जिसमें १ आना लगानी भूमि पर ३१-३१ के हिसाब से मुआवजा दिया गया था यह आवंट सन् १९६२ में किया गया था। सम्मानुसार भूमि की कीमत पर वृद्धि करना उचित भी है।

काश्तकारों ने अपनी जमीनों को जो सुधारा है, उसका फायदा काश्तकारों को दिया जाना उचित है। अस्तु भूमि की कीमत मौजूदा किस्म जमीन के खान के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

उपरोक्त सभी बातों को धेरे नजर रखते हुए भूमिका मुआवजा एक पैसे लगानी भूमि पर ७-२५ पैसे के हिसाब से ~~मुआवजा~~ दिया जाना स्वीकार किया जाता है।

काश्तकारों को मुआवजा पत्रक के अनुसार मुआवजा वितरण किया जावे एवं मुआवजा पत्रक के खाना नं० ३ में अंकित काश्तकारों को मुआवजा दिया जावे।

भूमि में स्थित वृद्धों की किस्म चार, छिछला, हर्रा, महुआ सरई, साजा, जामुन, वंशखाम है। जिसका कि मूल्यांकन मौके से किये जाने हेतु मौका निरीक्षण किया गया व निम्न रेट से मुआवजा पेटों का दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

१- आम वड़े ८०) छोटे ५०।

२- महुआ ४०), ३- सरई ५) साजा ५) छिछला ३), चार ३), वंशुर ५) जामुन १०), हर्रा १०)

इस प्रकार से कुल २२७-८६ एकड़ भूमिका मुआवजा १२५०४३-६६ रुपया निर्धारित किया जाता है।

डिविजनल इं० ए० ए० इलेक्ट्रिकल सिटी बोर्ड चर्चाई को लिखा जावे कि वह मुआवजे की धनराशि १२५०४३-६६ रुपया शीघ्र भेजे ताकि काश्तकारों को भूमि के मुआवजे की रकम वितरण की जा सके।

शेष भूमि जिसका कि प्रकाशन अधिसूचना में नहीं हुआ है उस संबंध में ए० ए० शासन से अधिसूचना प्रकाशित क किये जाने हेतु निवेदन किया जावे।

मु अर्जन अफिसारी
वास्ती जिलाध्यक्ष शल्होल ए० ए०

क्रमांक ६। म० अ०। ६४

प्रतिलिपि :-

शहडोल, दिनांक

जुलाई १६ ६७

५२१

६३



१- डिविजनल इंजीनियर म० अ० इ० वी० चवाई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु जावे । कृपया मुआवजे की धराराशि शीघ्र इसकायालिय में भेजी जावे । ताकि काश्तकारों को वितरण की जा सकें ।

२- तहसीलदार सोहागपुर को सूचनार्थ । कृपया संबंधित काश्तकारों को मुआवजे के संबंध में सूचित कराया जाकर तामीली रिपोर्ट भेजें ।

म अर्जन अधिकारी
वास्ते जिलाध्यक्षा शहडोल म० अ०

शर्मा १३-७



३	४	४	५	६	७	८
सुखनंदन वहीरा-१-खेलावन पिता २०६	गटोर ३	गटोर १	०-२६	०-३२		
हीरालाल कुर्मी						
२-समर्थपिता सुखनंदन	५५८	गटोर २	गटोर १	०-५३	०-६६	
सुखनंदन पिता मानचुनी कुर्मी सुद	२१५	वगार	वहारा २	१-२५	३-२७	
जगतधारी पिता सुखदीन जहीर	२१७। १	वगार	वगार	२-२५	०-५५	
सुदीन पिता बालाविन्द जगतधारी जहीर	२१८	वगार	वगार	१-४०	०-३७	
रामसन्हाय पिता	२६१	गटोर २	गटोर २	१-२२	१-२५	
शिवचरण कुर्मी	५३४	गटोर ३	गटोर १	०-३०	०-५६	
जगराखन पिता रघुवर कुर्मी	५३४	गटोर ३	गटोर १	०-६६	१-८५	
मिर्पिता प्यारकुर्मी	६८२	वहारा ३	वहारा ३	०-६५	१-४६	
सुद	६८१। ११७	गटोर ३	गटोर ३	०-१२	०-०६	
रक्ता	-	-	-	०-७२	१-५५	

कु ल मीजान ६४ किता - - ४४-६७ ४८-२८



मुआवचा पत्रक ग्राम देवरी तहसील सोहागपुर वास्ते मु अर्जन भूमि

परम्पराविलियत नामकाविज लखरानो कि०जमीन कि०सजमीन दो०जो लगान काश्तकार वन्दोवस्त मजदूदा मूमाप्तहुआ

३	४	५	६	७	८
रील -	३६३। १ न० जाल	गटोर २	४-००	३-७६	
रील -	३६३। २ न० जाल	वगार	१०-००	२-५०	
	४१७। १	गटोर १	१०-५०	१६-६३	
४५०	मीटा	मीटा	०-२६	०-०७	
४५१	तालाव	तालाव	०-५८	१-७४	
४५२	मीटा	मीटा	०-३५	०-०८	
४५३	न० जाल	वगार	८-००	२-००	
६किता	-	-	२६-७२	२६-०८	
मिट्टकौल	४३८	वगार २	वगार	०-७५	०-

✓✓
✓✓

✓✓
✓✓

✓✓
✓✓

[illegible]



1624-
4334-0

सविता पुत्र त्वं त्वं साधारणः सैव विजयिष्ये ॥ १ ॥

